

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12369 / 4954

दिनांक :- 15/01/2020

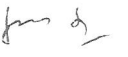
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पवन परेवा [लिंक न. 12369] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर - [23798] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 18/10/2018 से 18/10/2018 तक 1 दिवस
दिनांक 19/11/2018 से 19/11/2018 तक 1 दिवस
दिनांक 22/12/2018 से 22/12/2018 तक 1 दिवस
दिनांक 24/12/2018 से 24/12/2018 तक 1 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री पवन परेवा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12369 / 4954

दिनांक :- 15/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री पवन परेवा [12369] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)